कार्यालय उपनिदेशक, फायर सर्विस गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर।

पत्रांक–2014/5551/GKR/Gorkhpur/70/DD दिनांक–जून 29 ,2017

सेवा में,

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
जनपद–गोरखपुर।

विषयः– प्लाट/मकान सं0–सी–123/369 पुर्दीलपुर, जनपद–गोरखपुर में मैसर्स–श्रीमती सावित्री दास पत्नी स्व0 श्री प्रेम मोहन दास एवं अन्य द्वारा प्रस्तावित मल्टीप्लैक्स एवं होटल भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:–

कृपया उपरोक्त विषयक में आपके पत्र–462/वादअनु0/गो0वि0प्रा0/2017–18, दिनांक–17.06.2017 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर की आख्या दिनांक–26.06.2017 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर की परिशीलन आख्या दिनांक–27.06.2017 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:–

<u>भवन की संरचना</u>

1–कुल भूखण्ड एरिया–5491.07 वर्ग मीटर

1–प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया–181? 59 वर्ग मीटर

2–प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया–7712.9 वर्ग मीटर(प्रत्येक तलवार विवरण

अ–प्रथम तल का अच्छादित एरिया–1813.59 वर्गमीटर, द्वितीय तल+सर्विस फ्लोर का अच्छादित एरिया–1469.91+342.07=1811.98 वर्गमीटर, तृतीय तल+सर्विस फ्लोर का अच्छादित एरिया–1059.40+721.91=1781.32 वर्गमीटर, चतुर्थ तल का अच्छादित एरिया–803.04 वर्गमीटर, पंचम तल का अच्छादित एरिया–758.40 वर्गमीटर, छठें तल का अच्छादित एरिया–744.57 वर्गमीटर,

3–बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया–2377.68 वर्ग मीटर

4–बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया–2800.49 वर्ग मीटर

5–बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया–2391.70 वर्ग मीटर(इण्टरमीडिएट फ्लोर शाप का कवर्ड एरिया–142.02 वर्ग0)

6–भवन की उचॉई–37.44 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की श्रेणी–D6 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(प्रश्नगत भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटीरियल टाइप–प्रथम)

<u>ढॉचागत व्यवस्थाः–</u>

1–पहुॅच मार्गः–भूखण्ड के सामने मानचित्रों में–24.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2–प्रवेश द्वार की चौड़ाई–6.0 मीटर जो मानक के अनुसार है।

3–सैटबैकः–ए0–अग्रभाग–9.00 मीटर, बी0–पृष्ठभाग–9.00 मीटर,
सी0–पार्श्वभाग प्रथम–9.00 मीटर, डी0–पार्श्वभाग द्वितीय–12.00 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन नियमावली के अनुसार सैटबेक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेगें। सैटबेक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4–निकास मार्गः–प्रस्तावित भवन में–06 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 2.00, 1.5 एवं 1.25 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। सर्विस फ्लोर प्लान–2 में दर्शाये गये बेकेंट हाल पर दर्शाये के अनुसार उपलब्ध आकुपेंसी लोड के अनुरुप वैकल्पिक निकास मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। कोई भी स्टेयर मेटल की कदापि नहीं होनी चाहिये।

5–रिफयूज एरिया का विवरण–एन0बी0सी0 के क्लाज–04.12.3 के नोटशीट के अनुसार वाछिंत है।

<u>अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः</u>–नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के अनुसार निम्नाकिंत अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1–भूमिगत टैंकः–प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0–2016 मानकों के अनुसार 2,00,000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक वाछिंत है।

2–पम्पः–अण्डर ग्राउन्ड टैंक के पास मेन पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित–दो पम्प, डीजल चालित एक–पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता, जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का वाछिंत है।

क्रमशः–2–पर

3–होजरीलः–प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल आई0एस0–3844 मानकों के अनुसार प्रत्येक तल पर वाछिंत है।

4–वेटराइजरः–प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0–2016 मानकों के अनुसार वाछिंत है।

5–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट होज केबिनट एवं डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0–13039:1991 के अनुसार वाछिंत हैं।

6–हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टमः–मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0–2016 मानको के अनुसार वाछिंत है।

7–स्वः चालित डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टमः–प्रश्नगत भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम एन0बी0सी0–2016 मानकों के अनुसार वाछिंत है।

8–स्वः चालित स्प्रिंकलर सिस्टमः–प्रश्नगत भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0–2016 मानकों के अनुसार वाछिंत है।

9–टेरिस टैंकः–प्रस्तावित भवन के टेरिस पर एन0बी0सी0–2016 मानकों के अनुसार टेरिस टैंक–20000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया वाछिंत है।

10–टेरिस पम्पः–प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0–2016 मानकों के अनुसार वाछिंत नहीं है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):–प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190:1992 के अनुसार प्राविधान किया जाना है, जो मानकों के अनुरुप वाछिंत है।

12–स्मोक एक्स्ट्रेक्शन सिस्टमः–बेसमेन्ट एवं सम्पूर्ण भवन में स्मोक एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम वाछिंत है।

ए0– फायर चेकडोर, स्मोक चेकडोर की लोकेशन व रेटिंग का 02 घन्टा व भूतल वेसमेन्ट पर वाछिंत है।

बी0– सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था की गई है–भूतल पर।

सी0– सिस्टम रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुये एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाछिंत है।

13–प्रेशराईजेशन प्रणालीः–एन0बी0सी0–2016 मानकों के अनुसार वाछिंत है।

14–एग्जिट साईनेजः–सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किया जाना वाछिंत है।

15–पी0ए0सिस्टमः–पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक तल पर प्रस्तावित है।

16–कम्पार्टमेन्टेशनः–एन0बी0सी0–2016 मानकों के अनुसार वाछिंत है।

17–सराउण्डिंग सेटबैक 45 टन भार वाहन क्षमता का निर्माण कराया जाय आवश्यक है।

18–प्रस्तावित सिनेमा भवनों में बीम डिटेक्शन की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

19–प्रस्तावित होटल भवन के किचेन में CO_2 फ्लडिंग सिस्टम की व्यवस्था कराया जाना आवश्यक है।

20–भूमि एवं भवन में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना निर्माणदायी संस्था का उत्तरदायित्व होगा।

उतः उपरोक्तानुसार मैसर्स–श्रीमती सावित्री दास पत्नी स्व0 श्री प्रेम मोहन दास एवं अन्य द्वारा प्लाट/मकान सं0–सी–123/369 पुर्दीलपुर, जनपद–गोरखपुर में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु प्रोविंजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 एवं चलचित्र अधिनियम–1951 में तत्समय प्रर्वतित नियमों/उपनियमों के अनुरुप उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(योगेश बाबू द्विवेदी)
उप निदेशक, फायर सर्विस
गोरखपुर, परिक्षेत्र गोरखपुर।

प्रतिलिपि–

1– मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद–गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को उनकी निरीक्षण आख्या दिनांक–26.06.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

—::—